

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:रापक/एआरटी व सरोगेसी अधि.2021/2023/०९

दिनांक:- 17/01/2023

सूचना

राज्य में The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act 2021 तथा The Surrogacy (Regulation) Act 2021 के अंतर्गत एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक एवं सरोगेसी क्लिनिकों के पंजीकरण हेतु जिन एआरटी/सरोगेसी क्लिनिकों एवं एआरटी बैंकों ने पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाया है। वे कृपया शीघ्र शुल्क जमा करवा कर चालान की प्रति/रसीद विभागीय ईमेल आई डी adddirector.rch@gmail.com पर भिजवावे या कार्यालय समय में निदेशालय के कमरा संख्या 224 या 230 में जमा करावें।




(डॉ.के.एल.मीना)
निदेशक (जन स्वा./आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
जयपुर।

क्रमांक:रापक/एआरटी व सरोगेसी अधि.2021/2023/०९

दिनांक:- 17/01/2023

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, को वास्ते ईमेल/अपलोड हेतु।



(डॉ.के.एल.मीना)
निदेशक (जन स्वा./आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
जयपुर।